अध्यक्ष महोदय : जो हो चुका है, उसको मैं नहीं ले सकता। अगर कोरम नहीं है, तो घंटी बजाई जाये।

The Belling is being rung.

14.32-4/4 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Deputy-Speaker: Now there is quorum.

14.33 hrs.

SEEDS BILL

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Shahnawaz Khan on the 11th May, 1965, namely:—

> "That the Bill to provide for regulating the quality of certain seeds for sale, and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The time allotted is two hours out of which 55 minutes have already been taken. So one hour and five minutes are left.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, जेनेरल शाहनवाज खां साहब जिस बिल को लाए हैं, उस के लिए मैं उन को मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि अपनी खुशफ़हमी और गुड इन्टेंशन्ज में वह कुछ जरूरी बातें छोड़ गए हैं। यह आम कहावत : **दि वे टु हैल इज़ पेव्ड विद गुड इन्टेंशन्ज़।**

सबसे पहले तो मै यह कहना चाहता हूं कि जब हमारा देश एक है, तो फिर पहले सफ़्हे पर ही लिखी गई यह बात मेरी समझ में नही आती है : **इट एक्सटेंड्ज़ टु दि होल आफ़ इंडिया एक्सेप्ट दि स्टेट आफ जम्मू एंड काश्मीर।** हमारे श्री श्यामलाल सर्राफ का प्रदेश कितना प्यारा है, लेकिन उस को अलग कर दिया गया है। अगर बुलन्दी भी साथ रहेगी, तो मैदानों में काम हो सकेगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस कानून को जम्मू और काश्मीर में भी लागू किया जाये।

जेनेरल साहब खुद बहुत बड़े काश्तकार हैं और काश्तकार की दिक्कत को समझते हैं। लेकिन कम से कम सारे हिन्दुस्तान के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आया कि राजस्थान और मद्रास को मिलाने से क्या फायदा हुआ है। कहां राजस्थान और कहां मद्रास। इस में ज़ोन या रिजन या डिविजन के हिसाब से नुमायंदे लिये जाने चाहियें थे, लेकिन इस बारे में राजस्थान और मद्रास को एक साथ रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में क्या तुक है। मद्रास के लोग चावल खाते हैं और राजस्थान के लोग बाजरा खाते हैं। दोनों में क्लाईमेट्स कोई मेल नहीं खाती हैं। बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि कृषि मंत्री, श्री सुब्रह्मण्यम साहब, का प्रदेश मद्रास है और हमारे डिपुटी मिनिस्टर साहब, जेनेरल शाहनवाज खां साहब का ओरिजन राजस्थान में है। तो शायद दोनों मिनिस्टरों ने सोच कर अपने अपने प्रदेश रख दिये। लेकिन दोनों की आपस में कोई तुक नहीं है।

आज इस बात की जरूरत है कि देश की हालत को देखा जाये। जिन को लाइसेंस दिया जायेगा, वे पहले की तरह से किसान को परेशान करते रहेंगे। इस लिए बीज के लिए सिर्फ किसान को लाइसेंस देना चाहिए। किसी साहूकार या किसी तरह के डीलर को लाइसेंस देना किसान के साथ अन्याय करना होगा।

अगर मैं यह कह दूं, तो अप्रासंगिक नही होगा कि तानसेन के स्कूल में हमारे डिपुटी मिनिस्टर जैसा एक तालिब इल्म चला गया और उस ने तानसेन से पूछा कि इल्मे-मौसीकी

[श्री यशपाल सिंह]

हासिल करने में कितने दिन लगेंगे। तानसेन ने कहा कि चार साल लगेंगे। उस तालिबइल्म ने कहा कि मैं आप के यहां तालीम हासिल करना चाहता हूं, मैं अपनी किताबें और बिस्तर ले कर आता हूं। लेकिन बीस कदम जाने पर उस को एक बात याद आ गई। उस ने लौट कर तानसेन से पूछा कि मैंने थोड़ा सा 'सा रे गा मा पा' सीख रखा है, क्या इस का कोई कम्पेन्सेशन मिलेगा, क्या इस की वजह से मैं चार साल के बजाय तीन साल में यह इल्म नहीं सीख जाऊंगा? इस पर तानसेन ने कहा कि चार साल के बजाय आठ साल लगेंगे—चार साल ग़लत विद्या को भुलाने के लिए और फिर चार साल नई विद्या को सीखने के लिए।

अगर किसानों की दिक्कत को खत्म करना है, तो लाइसेंस का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने हजारों दफ़ा कहा था: **दैट गवर्नमेंट इस बेस्ट व्हिच गवर्न्स दि लीस्ट।** इस नई व्यवस्था के मुताबिक एक खेत को बोने के लिए भी लाइसेंस होल्डर के पास जाना पड़ेगा। हमारे यहां शुरू से ही को-आपरेशन का सिस्टम रहा है। गांवों में दस्तूर रहा है कि एक के पास गेहूं का बीज है, दूसरे के पास चने का बीज है, किसी के पास मकई का बीज है, किसी के पास बाजरे का बीज है और वे लोग आपस में बीजों को बदलते और एक्सचेंज करते हैं। लेकिन भविष्य में जब तक किसान लाइसेंस होल्डर के दरवाजे पर नहीं जायेगा, तब तक उसको किसी तरह का बीज नहीं मिल सकेगा। इस लिए इस बिल में यह प्राविजन जरूर होना चाहिए मेरे जैसे ग़रीब किसान को बड़ा किसान अपना बीज बेच सके और बग़ैर लाइसेंस के बेच सके। यह अच्छा नहीं लगता है कि बीज के लिए हम लाइसेंस होल्डर के पास जायें। अगर लाइसेंस उसी तरह तक्सीम हुए, जैसेकि अब तक होते रहे हैं, तो भाई-भतीजा-वाद और नेपाटिज्म चलेगा और किसानों का नुक्सान होगा।

इस वक्त गवर्नमेंट की बीज तक्सीम करने की जो प्रणाली है, उसमें बीज पंद्रह दिन के बाद पहुंचता है। स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों ने पंजाब में ऐसा इन्तजाम किया था कि बोने से पंद्रह दिन पहले किसान को बीज मिल जाता था। उन्होंने किसानों की बहबूदी और तरक्की के लिए ऐसा काम कर के दिखाया, जिस को हिन्दुस्तान का कोई भी चीफ़ मिनिस्टर नहीं कर पाया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि :

जिसे हम ने ग़लती से समझा था दुश्मन,
वही कश्तीए-कौम का नाखुदा था।

यह हमारी ग़लती है। हमें पंजाब से फायदा उठाना चाहिए और पंजाब ने किसानों के बीजों के लिए, जमींदारों के खेतों के लिए जो इन्तजाम कर रखा है, उस को हमें जरूर अपनाना चाहिए।

जब हम डीसैंट्रलाजेशन, विकेन्द्रीकरण का नारा लगाते हैं, तो विकेन्द्रीकरण का मतलब यह है कि देहात तक, किसान तक, जमींदार तक, छोटे काश्तकार तक, फ़ार्मर तक उस के हुकूक पहुंचे। इस लिए यह जरूरी है कि बीज वितरण का काम गांव पंचायत के जिम्मे किया जाये, क्योंकि गांव पंचायत यह समझ सकती है कि किसे कितने बीज की जरूरत है। आज कल हालत यह है कि बड़े किसान और बड़े जमींदार सरकार से बहुत ज्यादा बीज ले आते हैं और उस को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। अगर यह काम पंचायतों के जिम्मे किया जाये, तो वे हरगिज ऐसे अन्याय को नहीं चलने देंगी। अगर डीसैंट्रलाइजेशन बीज से शुरू नहीं होगा तो वह कहीं भी नहीं हो सकेगा।

इस में आपको यह भी देखना होगा कि किस किसान ने किस तरह का बीज पैदा किया है। उसकी जांच के लिए कोई रसायनशाला नहीं है, कोई लैबोरेटरी सरकार के पास नहीं है। इतना बड़ा यह काम चल रहा है लेकिन कोई लैबोरेटरी सरकार के पास नहीं है। रसायनशाला का कोई जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि हर एक पंचायत के मतहत एक एक रसायनशाला होनी चाहिये जो सादे तरीके से सरल तरीके से गांव वालों के बीज की जांच कर सके और उनको बता सके कि उनको जो बीज मिल रहा है वह अच्छा है या बुरा है। कई बार ऐसा होता है कि जो बीजा हुआ बीज होता है, बेकार बीज होता है वह किसान के पल्ले पड़ जाता है। कोई सजा इसमें ऐसी नहीं रखी गई है कि जो गलत बीज देगा खराब बीज देगा, उसको इस तरह की सजा दी जाएगी।

मैं चाहता हूं कि लाइसेंस का जो सिस्टम है, इसको हटाया जाए। जिस तरह से किसान को अच्छी से अच्छी हालत में बीज पहुंचाया जा सके, वह होना चाहिये।

इसके साथ साथ यह भी प्राविजन होना चाहिये कि किसान अपने कुटुम्बियों को बीज बेच सके, फैमिली को बीज दे सके, पड़ोसियों को बीज बेच सके। जो डीलर बढ़िया गेहूं अपने पास रख लेता है और घटिया बेचता है, घटिया अनाज काश्तकार के पल्ले डालता है, उसको सजा देने का प्राविजन इस में होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय शाहनवाज खां साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस में आवश्यक सुधार करें।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने आया है मैं इसकी बिल्कुल मुखालिफत करता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि इस बिल को लाने का मंशा क्या है। माननीय मंत्री जी का इस बिल को लाने का मंशा यह हो सकता है कि किसान को अच्छा बीज दिया जाए। लेकिन मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आया है इससे किसान को बीज नहीं मिलेगा और सिवाय भ्रष्टाचार और घूसखोरी का नया दौर शुरू होने के और कुछ नहीं होगा। इस में इसके सिवाय और कुछ नहीं होने वाला है।

अगर आप इस बिल को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक लाइसैंसिंग आथोरिटी बनाई गई है। जिस से लाइसेंस लिये बगैर किसान बीज नहीं रख सकता। इस में इंस्पैक्टर रखने की व्यवस्था की गई है जिन को पावर दी गई है कि वे किसी भी आदमी के घर में जाकर उसकी तलाशी ले सकते हैं, लोगों को सजा करा सकते हैं, उनको जेल भिजवा सकते हैं। इसके अलावा बीज एनेलिस्ट्स रखने की, बीज का विश्लेषण करने वाले लोगों को रखने की व्यवस्था भी इस में की गई है। इस सब व्यवस्था का क्या परिणाम होने वाला है, इसको आप देखें। आपने फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए कानून बनाया है और उसका क्या असर हुआ है, यह आप जानते ही हैं। उसका कितना बुरा असर हुआ है, यह आप से छिपा हुआ नहीं है। इसका उलटा ही असर हुआ है। इंस्पैक्टर और दूसरे लोग लाखों और करोड़ों रुपया घूस में खाते हैं। यही हश्र इस बिल का होने वाला है। कोई लाभ इससे नहीं होगा।

नाना प्रकार के कानून इस सदन से पास करवाये जाते हैं। इससे आदमियों के जीवन में बहुत सी मुसीबतें पैदा की जाती हैं। अभी बीज भंडार गांवों में बने हुए हैं। अगर नजूरी हो तो आप गांव में जा कर देखें कि कोआप्रेटिव बीज भंडार में किसान ने बीज नहीं लिया है, लेकिन हृदयहीन कर्मचारियों ने गलत और झूठा बांड भरवा कर करोड़ों रुपया किसानों से वसूल कर लिया है। कितनी

[श्री सरजू पाण्डेय]

हीं इस तरह की मिसाले दी जा सकती है। कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात मैं जानता हूं। किसानों ने वहां बीज नही लिया उनके घर वसूली हो रही है। जब बीज लेने जाते हैं तो खराब बीज दे देते हैं और एक एक दाना उनसे वसूल किया जाता है।

यह जो बीज एक्ट आया है यह किसी अंडर सैक्रेटरी या सैक्रेटरी ने जिस का इस दुनियां से कोई वास्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, किसानों के हित से कोई दिलचस्पी नहीं है, झूठ और गलत सुझाव दे कर बनवाया लगता है। इससे सिवाय नुक्सान के, लाभ कुछ नहीं होगा। साथ ही बेकार में इस में रुपया जाया होगा।

इसमें कहा गया है कि कमेटी बनाई जाएगी। उस में कौन लोग होंगे इसके बारे में भी अजीब प्राविजन है:

"5. If the Central Government, after consultation with the Committee, is of opinion that it is necessary or expedient to regulate the quality of any seed to be sold for purposes of argriculture, it may, by notification in the Official Gazette, declare such seed as a notified seed for the purposes of this Act."

यह एलान किया जाएगा कमेटी से कंसल्ट करने के बाद कि उसकी क्वालिटी को रेगुलेट किया जाए, उसके लिए मार्क नय किये जायें।

आगे देखें तो आपको यह लिखा हुआ मिलेगा;

"8. The State Government may establish a certification agency for the State to carry out the functions entrusted to the certification agency by or under this Act.

आप बतायें कि किसान को गल्ला बोने के लिए कहां से मिलेगा? वहां सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। दिन भर लोग इन दफ्तरों में चक्कर काटते रहेंगे, बाबुओं को घूस देते मर जायेंगे, न उनको लाइसेंस मिलेगा और न ही सर्टिफिकेट मिलेगा और न ही एक बीज का दाना मिलेगा। सिवाय देर होने के कोई फायदा नहीं होगा।

आगे चल कर इंस्पैक्टर्ज की पावर्ज दी गई है। अपील और मुकदमे के अलावा अगर आप इंस्पैक्टर्ज की पावर्ज को देखें तो वे आपको पेज आठ के ऊपर लिखी हुई मिलेंगी। इस में लिखा हुआ है:

"(c) enter and search at all reasonable times, with such assistance, if any, as he considers necessary, any place in which he has reason to believe that an offence under this Act has been or is being committed and order in writing the person in possession of any notified seed in respect of which the offence has been or is being committed, not to dispose of any stock of such notified seed for a specific period not exceeding thirty days or, unless the alleged offence is such that the defect may be removed by the possessor of the notified seed, seize the stock of such notified seed;"

किस कद्र मुसीबत पैदा आप कर रहे हैं, इसको आप देखें। कोई भी किसान अपने खेत में खराब बीज बोयेगा ही क्यों? उसका खुद का इंटिरेस्ट इस में है कि वह अच्छा बीज बोये। आज तक गांवों में लोग बीज देते थे और लोगों को बीज मिल जाता था। लेकिन जिस दिन से कोआप्रेटिव सोसाइटीज को बीज गोदामों से बीज दिया जाने लगा, किसानों को बीज नहीं मिलता है। उलटे उन पर दोहरे कर्ज की मार होती है। एक तो वे सोसाइटी

से बीज लेते हैं, फिर इसको ग्रदा करने के लिए प्राइवेट परसन के पास वे जाते हैं। जितने ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये किसानों को लूट लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि इस बिल को बिल्कुल वापस ले लिया जाना चाहिये वर्ना इसका भी वही हाल होगा जो कि फूड एडलट्रेशन एक्ट का हुआ है। इंस्पैक्टर और दूसरे दुनिया भर के दूसरे हैल्थ आफिसर पैसा खाते फिरते हैं उन पर कोई रोक नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि मेरे शहर में ये जो बकरियां जबह की जाती हैं, उन बकरियों को इंस्पैक्टर पास करते हैं। उनके पास जब लोग जाते हैं तो वे कहते हैं कि एक सेर गोश्त रोजाना दो, नहीं तो मैं सब के बारे में लिख दूंगा कि ये बुड्ढी हैं, मरीज हैं। इस तरह से ये अफसर लोग घूस लेते फिरते हैं।

मैं कृषि मंत्री से कहूंगा कि कानून बनाना आप बन्द करें। मेहरबानी करके लोगों को सिंचाई के साधन आप मुहैया कर दें। बीज की आप से कोई मांग नहीं करता है। बीज लोगों को मिल जाएगा। लोगों को आप पानी दीजिये। खाद दीजिये और बोगस कानून बना करके हजारों गरीब किसानों को आप हैरान न कीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास न किया जाए और इसको वापस ले लिया जाए।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : बीज विधेयक सदन के सामने विचारार्थ उप-स्थिति किया गया है। इसका मंशा तो बहुत अच्छा मालूम पड़ता है लेकिन मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान जैसे देश के लिए इस तरह की चीज बिल्कुल ही अव्यावहारिक है। मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट ने इस बिल को

सदन के सामने अभी क्यों उपस्थित किया है।

हम सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान खेती प्रधान देश है और यहां सैकड़े में 70–75 लोग खेती पर निर्भर करते हैं और पचास परसंट लोग खुद खेती करते हैं। इतने बड़े देश में बीज की समस्या को हल करने के लिए जिस प्रकार के संगठन की जरूरत है, यह सर-कार वर्तमान अवस्था में कर नहीं सकती है। यह सही है कि बाजार में जो बीज बिकता है उसकी क्वालिटी फर्स्ट क्लास होनी चाहिये। बुरे बीज अगर बेचे जायेंगे तो खेती का सर्व-नाश हो जायेगा। लेकिन अभी तक हमारा अनुभव यह है कि सरकार ने जो बीज की व्यवस्था की है, खुद सरकार द्वारा जो दिया हुआ बीज है, वह कहीं पनपता है और कहीं नहीं पनपता है। ज्यादातर हालतों में देखा गया है कि सरकार द्वारा जो बीज किसानों को दिया जाता है विशेषकर सरकारी फार्म्स से और जहां पर उस बीज का संग्रह किया जाता है, उस बीज से अपेक्षा यह की जाती है कि वह अच्छा होगा लेकिन देखने में आया है कि उससे फायदा नहीं होता है, वह पनपता नहीं है, स्प्राउट नहीं करता है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा कानून बनाना एक दम अव्यावहारिक है, असंगत है और इससे कोई काम निकलने वाला नहीं है। सिवाय इसके कि जो इंस्पे-क्टर बहाल होंगे या दूसरे कर्मचारी बहाल होंगे इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए किसानों को सताने का या जो लोग बीज की बिक्री करेंगे, उनको सताने का एक और हथकंडा उनके हाथ में आ जाएगा, और कोई लाभ नहीं होगा। जहां तक मैं समझता हूं कि पिछले अधिवेशन में जब माननीय मंत्री जी ने इस बिल को उपस्थित किया था तब इस की मंशा को स्पष्ट नहीं किया था कि इस का क्या उद्देश्य है। मालूम तो होता है कि उद्देश्य बहुत अच्छा है। किसान को अच्छे बीज मिलने चाहियें और अच्छे बीज के नाम पर जो बुरे बीज की बिक्री करे उसको

[श्री श्रीनारायण दास]

सजा मिलनी चाहिये । यह भी बहुत जरूरी है कि बीज को परीक्षा के लिये अच्छी अनुसन्धानशालायें स्थापित की जायें । यह भी बहुत अच्छी चीज है कि बीज को जांचने के लिये बीज विवेचक जो हों वह इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानने वाले हों । यह सब चीज बहुत अच्छी हैं लेकिन हिन्दुस्तान सात लाख गांवों का देश है और उनमें ज्यादातर लोग खेती करते हैं। इस विधेयक के पास हो जाने पर जो कमेटी यहां बनेगी या राज्य में बनेगी उनके बन जाने से ही हिन्दुस्तान में जितने बीज की आवश्यकता है उतना अच्छा से अच्छा बीज सप्लाई हो, यह काम इतनी लेबोरेटरीज नहीं कर सकती हैं और न वे बीज के उत्पादन को पूरा कर सकती हैं ।

ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वे हिन्दुस्तान के किसानों को तंग नहीं करना चाहते हैं तो इस बिल को कुछ दिनों के लिये वापस लिया जाये । हिन्दुस्तान की वर्तमान अवस्था में बीज की बिक्री करने के लिये व्यापारी वर्ग कुछ तो जरूर है लेकिन उनकी जो तादाद है वे नगण्य हैं । ज्यादातर खेती करने वाले जो लोग है वे ही देश में बीज पैदा करते हैं । जिन के पास जरूरत से कम बीज हैं वह जिन के पास ज्यादा बीज रहता है उन से लेकर खेती करते हैं ? अगर यह कानून लागू हो जायेगा तो उस से किसानों को बड़ी तकलीफ होगी । मैं चूंकि देहात का रहने वाला हूं इस लिये जानता हूं कि गांवों में बड़े किसान दूसरे किसानों को जरूरत पड़ने पर बीज बेच डालते हैं । अगर इस कानून के पास होने के बाद वह किसान बीज को बेचेंगे तो उनको इस कानून के दायरे में आकर लाइसेंस लेना पड़ेगा । अगर वह बिना लाइसेंस के बेचेंगे तो वह पकड़े जायेंगे । उन को सजा हो जायगी । जहां तक मुझे मालूम हुआ है मंत्री जी खेती करने वाले किसानों को इससे बरी कर रहे हैं । मैं नहीं समझता कि आज इस बिल को पास करने की क्या आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों से, खास कर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक की अभी कोई खास आवश्यकता नहीं है । कुछ समय बाद जब आप अपने संगठन को ठीक कर लें, आप का संगठन मजबूत हो जाये और जगह जगह अनुसन्धानशालायें स्थापित हो जायें और किसानों की राय ले ली जाय, उसके बाद यहां यह विधेयक अगर आये तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा विचारणीय होगा । जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक इस विधेयक को पास करना ठीक नहीं होगा । हमारे देश में आज हजारों नहीं उससे बहुत ज्यादा किसान हैं जो कि अगर बीज की बिक्री का कार्य करेंगे तो कानून के शिकंजे में आयेंगे और उनको हर तरह से तकलीफ उठानी पड़ेगी ।

इसलिये मैं इस विधयक का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री सदन की राय को लेकर इस विधेयक को तब तक के लिये वापस ले लेंगे जब तक इस के लिये अनुकूल समय न आ जाय ।

श्री बे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल राज्य सभा के अन्दर पास हो चुका है । अगर इस बिल के उद्देश्य को देखा जाये तो वह बहुत अच्छे हैं । बीजों के किस्म पर नियंत्रण रखना, उनका उत्पादन, हाट व्यवस्था, बीज बचाव का नियमन करने के लिये कानून बनाना इसका उद्देश्य है । शुद्ध बीज की बात अच्छी है, इस की जरूरत खेती के लिये है, इसमें कोई शक नहीं है । इस के लिये पहली, दूसरी और तीसरी योजनायें जो बनीं उसमें व्यवस्थायें की गई थीं । लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जितने सीड फार्म बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विकास खंडों में बनने थे वह नहीं बन पाये । दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितने सीड फार्म इस उद्देश्य से बनने थे वे पूरे नहीं हो पाये ।

"The number of seed farms established in 1956-57 was 3,843 whereas the Plan target was 4,185."

यह तो हमारे किसानों के लिये अच्छे बीज के अधिक उत्पादन आदि की जो बातें कही जाती है उस पर ध्यान देने का एक नमूना है । बिल का उद्देश्य देखते हैं तो एक अच्छी चीज मंत्री महोदय सदन के सामने लाये हैं। लेकिन बिल में जो चुने हुए फार्म्स की बात दी गई है उस के लिये कठिनाई हो जायेगी ।

इसमें सेंट्रल सीड कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, दिल्ली से देहात में सीड भेजने का इरादा दिखाई देता है । सेंटर में एक सीड कमेटी है लेकिन स्टेट में कोई सीड कमेटी नहीं है । इस बिल में इसके लिये कोई प्राविजन नहीं है । स्टेट में सेंट्रल सीड कमेटी की सब-कमेटी है । साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब-कमेटी है उसमें मैं देखता हूं कि किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है । चेयरमैन नामिनेटेड रहेगा, नैशनल सीड्स कारपोरेशन का आदमी रहेगा, प्रोग्रर्स आफ सीड का आदमी रहेगा, प्लेन्ट ब्रीडर्स का आदमी रहेगा, डीलर्स आफ सीड्ज का रिप्रेजेन्टेटिव रहेगा, लेकिन काश्तकारों का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा, जिस को अच्छा काश्तकार कहा जाता है उसका कोई प्रतिनिधि यहां पर नहीं रक्खा गया है । क्लाज 3 में दिया हुआ है :

"two persons to be nominated by the Central Government to represent dealers in seeds;"

फार्मर्स का कोई प्रतिनिधि नहीं है ।

सब-कमेटी जो है उस की पावर्स जो हैं वह भी बहुत कम है और इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सीड्स कमेटी फार स्टेट्स रहनी चाहिये । आज जो सब-कमेटी हैं चूंकि उसकी पावर्स बहुत कम हैं इसलिये वह मेन कमेटी के तरीके पर काम नहीं कर सकती ।

इसमें सर्टिफिकेशन एजेन्ट्स की जो बात है वह स्टेट लेवेल पर रक्खा गया है यानी सर्टिफिकेशन का काम वहां किया जायेगा । फील्ड इन्सपॆक्शन वहां हो जायेगा । जो कर्मचारी रखे जायेंगे वह इसे करेंगे । फाऊंडेशन सीड्स, रजिस्टर्ड सीड्स, सर्टिफाईड सीड्स इन के लिये एजेन्सी बनाने की बात कही गई है । मेरी शिकायत यह है कि यह जो इंस्पैक्टर्स लोग रहते हैं उनसे किसानों को तकलीफ होगी । अगर सरकार का यह ख्याल है कि इससे कोई सुविधायें किसानों को मिल सकेंगी तो यह ख्याल गलत है । आज तक का अनुभव यह है कि जिस को शुद्ध सीड करके लिया जाता है वह अच्छा नहीं निकलता । मेरा सुझाव यह है कि वहां पर लोकल कमेटी होनी चाहिये । आज देहात देहात में ग्राम पंचायतें है, ब्लाक हेडक्वार्टर पर पंचायत समितियां हैं जिला स्तर पर जिला परिषद् है, इसी तरह से वहां पर इसके लिये स्थानीय कमेटी होनी चाहिये जो कि इस प्रकार के इन्सपॆक्शन के कार्य को देखे । अगर खाली गवर्नमेंट मशीनरी दिल्ली से इस कार्य को करना चाहेगी तो इससे इन्स्पैक्टर लोग भ्रष्टाचार करेंगे और सीड्स अच्छे नहीं मिलेंगे । इसलिए लाइसेंसिंग एजेंसी में भी सुधार होना चाहिये ।

15 hrs.

और इसमें जो इंस्पैक्टर्स को पावर्स दी हैं वे बहुत काफी पावर्स हैं सेक्शन 17 में । अगर उन्होंने उन पावर्स का मिस्यूज किया तो उनके ऊपर कारंवाई करने का कोई प्राविजन नहीं है । सेक्शन तो मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन नमूने के तौर पर कुछ कहना चाहता हूं । इसमें कुछ जो पावर्स दी गयी हैं उनके कारण किसान को परेशानी होने वाली हैं । इसमे दिया है :

"No person shall, himself or by any other person on his behalf, sell, offer to sell, or keep for sale any such variety or hybrid of any notified seed as is included in the list published under section 6, as a foundation seed, registered seed or certified seed—

[श्री दे० शि० पाटिल]

(a) unless the provisions of sub-section (1) are complied with".

वह खुद भी कई साल का सर्टीफाईड सीड नहीं रख सकेगा । और उन्होंने इसके लिए जो पेनल्टी रखी है वह भी देखने की है । सेक्शन 22 में यह दिया हुआ है :

"If any person—

(a) contravenes any provision of this Act or any rule made thereunder; or

(b) prevents a seed inspector from taking sample under this Act; or

(c) prevents a seed inspector from exercising any other power conferred on him by or under this Act . . .".

इसका मतलब यह हुआ कि इंस्पैक्टर खेत में आवेगा और चाहे जितना सैम्पल ले जाएगा । मेरा मतलब यह है कि अगर इंस्पैक्टर अपनी पावर्स को मिसयूज करता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं दी हुई है । अगर इंस्पैक्टर अपनी पावर्स को मिसयूज करता है तो उसके लिए भी पेनल्टी होनी चाहिए ।

इस बिल में बहुत सा अमेंडमेंट होना चाहिए । इस बिल का उद्देश्य तो अच्छा है ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि अच्छा बीज आदि आवश्यक चीजें किसानों तक पहुंचे । इसके लिए ग्राम पंचायतों से काम शुरू करना चाहिए । हर एक पंचायत के पास अपना सीड फार्म होना चाहिए । वहां से काम शुरू करना चाहिए । अगर आप देहात से इस काम को शुरू करेंगे तो यह समस्या हल हो जायगी ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): उपाध्यक्ष जी, मैं नहीं समझ सका कि श्री शाहनवाज जैसे काश्तकार ने इस विधेयक को कैसे इस सदन के सामने पेश किया । वह खुद एक बड़े काश्तकार हैं और काश्तकारों की मुसीबत को समझते हैं ।

पहले इस सरकार को यह विचार करना चाहिए कि क्या गांवों में रहने वाले 40 करोड़ जो लोग हैं उनको बीज देने के वास्ते यह प्रबन्ध कर सकती है या नहीं । क्या यह सरकार सात लाख गांवों में बीज देने के लिए दफ्तर खोल सकती है ? अगर हम में यह क्षमता है कि हम हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में सारा बीज दे सकते है, तब तो इस कानून को पास करें, नहीं तो यह कानून केवल कागज पर रह जाएगा । इसका उपयोग नहीं हो सकेगा । चाहे आपका सिद्धान्त कितना ही ऊंचा सिद्धांत हो, लेकिन अगर उस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता । सत्य बोलना बड़ा अच्छा है । सत्य का सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सत्य भाषण न करें तो सत्य का कोई मूल्य नहीं है । इसी प्रकार जो विधेयक यहां इस समय प्रस्तुत किया गया है इस का कोई मूल्य नहीं है ।

हम अपने देश के 40 करोड़ लोगों को एक ओर खाना देने में असमर्थ हैं, और दूसरी ओर उनको बीज देने के लिए लाइसेंस देने की एक ऐसी एजेंसी पैदा कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार फैलेगा । आपका इंस्पेक्टर गांव में जाएगा और दस पांच रुपया अपनी पाकेट में रखेगा और कह देगा कि बीज ठीक है, बेच लो ।

आज गांवों में होता क्या है? एक गांव में सौ काश्तकार हैं । एक बड़ा काश्तकार अपने यहां बीज पैदा करता है । चैत के महीने में जब गेहूं की फसल आती है तो अच्छे गेहूं को चैत के महीने में भुस के अन्दर रख देते हैं । फिर जब कार्तिक का महीना आता है तो उस बीज को भुस में से निकालते हैं, और जिन गरीब काश्तकारों के पास बीज नहीं हो तो, उनको वह बीज मुफ्त दिया जाता है, उस का सवाया बीज फसल आने पर वापस ले लिया जाता है ।

ग्राप जानते हैं कि सारे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। ग्रौर इस को ग्राप रोकना चाहते हैं। इस समय जो गांव का बड़ा काश्तकार गरीब काश्तकारों को बीज देता है उस को ग्राप रोकना चाहते हैं। इस तरह से ग्रापने इस रास्ते को तो रोक दिया ग्रौर ग्राप बीज दे नहीं सकते हैं। उत्पादन कैसे बढ़ेगा। केवल पालियामेन्ट में बैठ कर कानून पास करने से उत्पादन नहीं होगा ? हम को हर चीज को व्यावहारिक दृष्टि से देखना चाहिए।

सेक्शन 9 को, जैसा पाटिल भाई ने पढ़ कर सुनाया, ग्राप ने पीनल बना दिया है। इस का परिणाम यह होगा कि हमारे बगल में ग्रगर कोई गरीब काश्तकार है ग्रौर हमारे पास बीज है, ग्रौर उस काश्तकार के पास बीज नहीं है, तो हम उसको बीज नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ग्रगर हम कानून को नहीं मानेंगे तो हम को सजा हो जाएगी। नतीजा यह है कि जो गांवों में हजारों वर्ष से खेती का तरीका चला रहा है ग्रौर जिससे सुचारु रूप से काम हो रहा है, उसको ग्राप बदल देंगे। ग्राप इस विधेयक द्वारा तरीके को तो बदलने जा रहे हैं, लेकिन उसके समान कोई दूसरा रास्ता नही पैदा कर रहे है।

मैं ग्रापको इस सिलसिले में मिट्टी के तेल का उदाहरण देना चाहता हूं। ग्राप गांवों में मिट्टी के तेल का वितरण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। पालियामेंट में सवाल उठा कि गांवों में मिट्टी का तेल ठीक से नहीं पहुंचता ग्रौर ब्लैक में लोग गायब कर जाते हैं। जब ग्राप मिट्टी के तेल का वितरण नहीं कर सकते, तो यह जो ग्रादमी के भोजन की वस्तु है, इस बीज का ग्राप कैसे वितरण कर सकेंगे। मिट्टी के तेल को तो कोई पी नहीं सकता, लेकिन ग्रगर ग्रादमी को भूख लगी हो तो वह चावल ग्रौर गेहूं को तो खा जाएगा चाहे वह बीज का ही क्यों न हो। तो मैं कहूंगा कि ग्राप इस कानून को पास करके देश में भ्रष्टाचार को ग्रौर फैलावेंगे। इस प्रकार ग्राप उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, इस तरह तो ग्राप उत्पादन में व्यवधान ही उत्पन्न करेंगे।

इसलिए मेरा ख्याल है कि ग्रापको सेक्शन 9 ग्रौर सेक्शन 11 दोनों को बिल्कुल हटा देना चाहिए। ग्रापने सेक्शन 11 में ग्रांट ग्राफ लाइसेंस रखा है। जिनको लाइसेंस लेना होगा वे इंस्पेक्टर को पचास रुपया घूस का दे देंगे ग्रौर उनको लाइसेंस मिल जावेगा। लेकिन ग्रगर हमारे महीदा साहब घूस नहीं देंगे तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा चाहे वे कितने ही ईमानदार क्यों न हों। ग्राज हम देखते हैं कि लाइसेंसदार के पास से सीमेंट की बोरी दो रुपया ज्यादा दिए बिना नहीं मिलती। इसलिए ग्रगर ग्राप चालीस करोड़ लोगों के जीवन ढांचे को इस तरह बदलेंगे तो यह देश के लिए घातक होगा।

एक माननीय सदस्य : दस रुपए ज्यादा देने पर भी सीमेंट की बोरी नही मिलती।

श्री रघुनाथ सिंह : ग्रब ग्राप सेक्शन 22 को देखें। इसमें लिखा है :

"If any person—

(a) contravenes any provision of this Act or any rule made thereunder; or

(b) prevents a seed inspector from taking sample under this Act; or....".

हम ग्रपने घर में सौ मन गेहूं रखे हैं। एक इंस्पेक्टर जाएगा ग्रौर कहेगा कि मैं उसे देखूंगा। हम नही दिखाना चाहते। हमारे यहां परदा है। हम ग्रपने यहां उसे नहीं घुसने देना चाहते। हो सकता है कि हम ने यह गल्ला ग्रपने सीड के लिए रखा हो या खाने के लिए रखा हो। इंस्पेक्टर को यह ग्रधिकार होगा कि वह हमारे घर में चला जाएगा। जब इंस्पेक्टर किसी का सीड देखने ग्रावेगा ग्रौर ग्रगर वह

[श्री रघुनाथ सिंह]

उसके हाथ पर पांच रुपए रख देगा तो इंस्पेक्टर चला जाएगा, और अगर कोई ईमानदार है और पैसा नहीं लेता है तो उसे सजा हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को हटाया जाए और यहां न रखा जाए। और अगर आप वास्तव में इस के बारे में जनता की राय जानना चाहते हैं तो इस बिल को राय के लिए सरकुलेट करिए ताकि आपको इसके प्रति जनता की प्रतिक्रिया मालूम हो सके। हम यहां जनता के वोट से चुन कर आए हैं। यह जनता के जीवन का सवाल है। आपको जानना चाहिए कि इस के बारे में जनता की क्या प्रतिक्रिया है। हम यहां जनता की इच्छा के अनुसार शासन करने आए हैं। यह डिमोक्रेसी है। अगर डिमोक्रेसी के अनुसार आपको काम करना है तो इस विधेयक को सरकुलेट कीजिए और देखिए कि इसके बारे में जनता की क्या प्रतिक्रिया है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री शाहनवाज से, जो कि स्वयं एक अच्छे और सफल काश्तकार हैं, कहूंगा कि या तो इस बिल को वापस लें नहीं तो इसको सरकुलेट करावें।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Kakkar.

Shri P. G. Sen (Purnea): This is a very important Bill. The time should be extended. So many Members wish to speak.

Mr. Deputy-Speaker: We will extend it by one hour.

Shri P. R. Patel (Patan): Two hours.

Some hon. Members: Yes, two hours.

Mr. Deputy-Speaker: No, no. I can extend it by only one hour.

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ा हर्ष है और अभी आप के डिप्टी मिनिस्टर साहब ने खुद यह सुना होगा। जितने भी माननीय सदस्यों ने अभी तक इस विधेयक की बहस में भाग लिया है चाहे वे इस तरफ़ के हों चाहे उस तरफ़ के रहे हों, सभी ने इस विधेयक का एक स्वर से विरोध किया है।

दो तीन बातें विशेष महत्व की हैं। जब तक आप किसी चीज का प्रबन्ध पूरे तौर से नहीं कर सकते तब तक उस पर रोक लगाने अथवा नियंत्रण लगाने का अधिकार आप को कोई नहीं है। श्रीमन्, मैं आप को बतलाऊं कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट पर रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट और मेहता रिपोर्ट इन दोनों को अगर हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब पढ़ें और अध्ययन करें तो उन को यह मालूम होगा कि इतना जबरदस्त क्रेडिट कोआपरेटिव के द्वारा देने पर भी और सीड देने पर भी अभी भी 75 से 80 प्रतिशत हमारी मांग जो बीज की है अथवा जो ऋण की है देहाती क्षेत्र में वह इंडिजैनस बैंकिंग के द्वारा पूरी होती है और बीजों का वितरण भी गांवों में जिन लोगों के पास ज्यादा बीज है और बच जाता है वह उसे देते हैं और पैसा भी वह देते हैं। यह इंडिजैनस बैंकिंग जो कि रूरल ऐरिया में प्रचलित है आपकी कमेटी ने खुद इस को स्वीकार किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप के पास क्षमता नहीं है, साधन नहीं है कि आप जितनी आवश्यकता बीज की देश को है वह उसे दे सकें तो आप इस प्रकार का नियंत्रण लगाने का अधिकार कैसे रखते हैं? इससे देहात में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज इस सदन में एक काफ़ी सीनियर कांग्रेस सदस्य श्री रघुनाथ सिंह भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि जहां कहीं भी इंसपैक्टर की आप नियुक्ति करेंगे, जहां कहीं भी आप लाइसेंस को लायेंगे, जहां कहीं भी आप कंट्रोल को लागू करेंगे, वही पर भ्रष्टाचार हो जायेगा

मुझे बड़ा हर्ष है कि ग्राज कांग्रेसी सदस्य इस सदन में इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं ।

श्रीमन्, देहाती क्षेत्र में चले जाइये । वह देहाती जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसने हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी नहीं पढ़ी उसको भी इस राज्य ने कम से कम दो, तीन चीजें कंठस्थ करा दी हैं ग्रौर पढ़ा दी है जैसे शब्द ब्लैक, किसी भी देहाती क्षेत्र में ग्राप चले जाइये, हर शख्स को यह शब्द कंठस्थ है कि ब्लैक में यह चीज मिलती है । इसी तरह से कंट्रोल का शब्द उन्हें कंठस्थ है । स्पष्ट है कि इन चीजों में जो भ्रष्टाचार है उस से ग्राप ग्रांखें बन्द नहीं कर सकते । जब सरकार ग्रौर सरकारी पार्टी में बैठे हुए सदस्य इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ग्रगर हम किसी भी वस्तु में नियंत्रण लगायेंगे, उसमें इंसपैक्टर ग्रथवा कंट्रोल या लाइसैंसिंग एथारिटीज रक्खेंगे तो भ्रष्टाचार वहां ग्रा जायेगा ग्रौर जब ऐसी बात है तब इस तरह का विधेयक लाने का ग्राखिर प्रयोजन क्या होता है ?

दो, तीन धाराएं इस विधेयक में विशेष तौर से इस तरीके की हैं कि ग्रगर वे पास हो जाती हैं तो मैं ग्राप को विश्वास दिलाता हूं कि ग्रभी तक जहां कृषकों को ग्रौर चीजों का ग्रभाव है, जैसे कि ग्राप खाद नहीं दे पाते, पानी नहीं दे पाते तो जहां बीज की व्यवस्था वह ग्रपने गांवों में स्वयं कर लेते थे, उस में ग्राप बाधा डाल रहे हैं बजाय इसके कि उसे ग्राप शुद्ध बीज दें ।

श्रीमन्, ग्रभी इस में यह दिया हुग्रा है । धारा 22 में ऐसा लिखा हुग्रा है :—

"If any person contravenes any provision of this Act or any rule made thereunder or prevents a seed inspector from taking sample under this Act, he shall be imprisoned for three months."

ग्रभी तक जिन नियन्त्रणों ग्रथवा कानूनों का निफाज इंसपैक्टरों के द्वारा होता है उन्हीं में काफ़ी भ्रष्टाचार है ।

ग्राज बीज बांटने की पद्धति जो है उसमें ग्राप दो ग्रोर्गंस के द्वारा यह बीज बांटते हैं, कोग्रापरेटिव सोसाइटीज के द्वारा ग्रौर कुछ बेसिक सीड स्टोर्स के द्वारा । मैं ग्रापके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उन दोनों एजेंसियों द्वारा जो बीज का वितरण हो रहा है वह कितने परसैंट बीज का वितरण हो रहा है ग्रौर कितना शुद्ध वह बीज है ? फिर उसके बाद ग्राप इस प्रकार का ग्रंकुश लगाने जा रहे हैं ?

श्रीमन्, यह बीज के वितरण के सम्बन्ध में जो सरकार कमेटी बनाने जा रही है उसके ग्रनुसार इस बीज वितरण को हमारी सरकार ने एक खिलवाड़ बना लिया है । सैंटर की जो कमेटी बनने जा रही है उसके सम्बन्ध में यह लिखा गया है :—

"The Committee shall consist of the following members:

(i) a chairman to be nominated by the Central Government;

(ii) four persons to be nominated by the Central Government.

Everybody who is a representative of the Central Government is to be nominated by the Central Government.

ग्रगर ग्राप वास्तव में डेमोक्रेसी ग्रौर इस डिसैंट्रलाइजेशन में विश्वास करते हैं तो यह ग्रापकी जो विलेज पंचायत हैं ब्लाक लेविल वाली उनसे यह काम क्यों नहीं कराते हैं ? जिन चीजों की ग्रावश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक लोगों को पड़ती है उनका इंतजाम ग्राप इन के द्वारा क्यों नहीं कराते हैं ? यह हमारी सरकार जो कि दिल्ली में बैठी हुई है वह ग्रगर इस प्रकार का बीज का कानून बनाती है तो मैं श्रीमन्, ग्रापको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी हजारों, लाखों बीघा काश्त बगैर बोये ही रह जायेगी ।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

अन्त में मैं और अधिक न कह कर श्री रघुनाथ सिंह ने जो सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि इस प्रकार का विधेयक अगर प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर मतगणना ले ली जाय, जनमत ले लिया जाय और यह सरकुलेशन में भेज दिया जाय तब हमारी सरकार की आंखें खुलेंगी। आखिर जिन लोगों का सम्बन्ध इस बीज कानून से है उन लोगों की इस पर राय क्या है, मत क्या है उसके जाने बगैर अगर आप इस तरह से मनमाने ढंग पर नियंत्रण लगायेंगे तो यकीन मानिये आप किसानों के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा प्रस्तुत करेंगे।

Shri P. R. Patel: Mr. Deputy-Speaker, generally what happens in our country is that we dream, we do not see realities, and because of our dreams, we put ourselves into troubles and create problems and complicate them and then it is impossible to find a way-out. This is a Bill of that type. We are dreaming. It is a dream only. Otherwise, a Bill that affects 35 crores of people, agriculturists, such a Bill could not be introduced in the House unless and until it goes to all the panchayats, all the panchayat samitis and their opinions are collected. Because, after all, even though we have good intentions, we will be doing more harm.

The second thing is this. I am feeling that agriculturists have lost faith in the administrators, and the Ministry of Agriculture of the Central Government as well as the Ministries of Agriculture of the States have lost faith in agriculturists. This is a bad state of affairs. In clause 3, in the constitution of the Seeds Bill, what representation is given to the representatives of farmers? Absolutely nothing. It seems the Ministry of Agriculture in India has less trust in the agriculturists and more in their own administrators. Now, what is required in the country is better seeds for administrators. The administrators require to be improved. They require better seeds. There is so much corruption and nepotism everywhere, maybe at the centre, maybe in the states, that unless they are improved, I do not think we shall succeed in any attempt, whether it may be war with China, war with Pakistan or war against hunger. Whatever it may be, unless the administrators are improved, we are not going to succeed. So I request the hon. Minister to introduce a Bill for better seeds, certified seeds, for the administrators, so that he may have a better type of administrators and administration.

Shri Ravindra Varma (Thiruvella): Could he explain his idea a little?

Shri P. R. Patel: What is our experience? We have got inspectors to give certificates to different varieties of cotton. That is in vogue today. In my district we produce Kalyan cotton. There are other types of cotton also. The inspector who, on behalf of the Agricultural Department, gives the certificates for the different varieties, draws a salary of about Rs. 125 or Rs. 150 and he is authorised to certify goods worth lakhs. So, his certificate depends on what he collects in his own pocket. So, if we add to such inspectors, would it be doing a good thing? Will it not increase corruption, will it not increase dissatisfaction among the agriculturists? I do not know why every attempt is made by our Government to produce dissatisfaction among the agriculturists.

Up till now, we, the ruling party, have lost most of labour; so far as people in urban areas are concerned, we have lost most of them. Now, our administrators, under whose advice our Ministers are working, have a plan to make us lose most of the agriculturists. What will be our fate? So, I request the Government to consider a hundred times before introducing such Bills.

There is a funny clause in the Bill. Shri Shahnawaz Khan is a good agriculturist.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): The other day he was a railway man.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Formerly he was in the army.

Shri P. R. Patel: If he has some seeds with him, he would part with them in favour of fellow agriculturists, but after passing this Bill, if he does that, he will be sentenced. That is the Bill. When we put such a clause in the Bill, is it not desirable to circulate the Bill? Would wisdom not require it that we should seek the opinion of the people. I would humbly request the Government and the Minister to move a motion to circulate the Bill and get the opinion of the people.

The Government talks of so many things regarding agriculturists, but does little. There is a story of Shaukhala. If you ask for Rs. 100, it would say, "Take Rs. 1,000"; if you ask for Rs. 1,000, it would say, "Why Rs. 1,000? Take Rs. 10,000." Similarly, so far as the agriculturists are concerned, if they ask for one pie, Government says, "Why one pie? Take one rupee, take Rs. 100." Only talk, words, nothing substantial.

We demanded that there should be farmers' representatives on the Agricultural Prices Commission. We have been insisting for years. Our Prime Minister also, at the AICC meeting, promised us that there would be representatives of the agriculturists on the Commission. But now our Minister of Agriculture and the good advisers under the Minister in the Ministry have come to the conclusion that no representatives of the agriculturists are required on the Commission.

I tell you we are losing the confidence of the people, the agriculturists, and that is a bad thing. I again request the hon. Minister to reconsider the matter.

Shri Gauri Shankar Kakkar: May I ask the hon. Minister through you if there is any Member to support this Bill? So far, no Member has done. Is he willing to withdraw it or send it for circulation?

श्रीमती सहोदराबाई राय (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे भी दिये जायें ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस बिल को वापस ले लिया जाये । इसके लिये कोई सपोर्ट नहीं है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाये ।

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): It is wrong to say that nobody has supported the Bill. So many people have supported it. Shri Yash Pal Singh, who is a leading agriculturists of the western districts of U.P., has supported it, there are so many others who have supported it.

Shri Gauri Shankar Kakkar: So far, no Member has supported it.

श्रीमती सहोदराबाई राय : श्री यशपाल सिंह तो राजा हैं ।

श्री यशपाल सिंह : राजा नहीं, मैं तो सोशलिस्ट पार्टी में हूं ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि शायद किसान इस बिल से सहमत हों । लेकिन मेरा ख़याल है कि किसानों में इससे बेचैनी पैदा होगी । इसलिए मैं इस बिल का विरोध

[श्री मोहन स्वरूप]

करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं खुद किसान हूं और खेती करता हूं और जानता हूं कि किसानों की समस्यायें क्या हैं ।

अभी भारतवर्ष में खेती की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई है कि इस किस्म की चीजों को लागू किया जाये । आज हालत यह है कि खेती के सिलसिले में प्रारम्भिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं, जैसे पानी और खाद वगैरह नहीं दिया जाता है । इस किस्म की चीजों को पैदा करने से और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है । अभी तक सरकार की ओर से गांवों के सिलसिले में जो भी कार्य किये गए हैं, चाहे वे को-आपरेटिव मूवमेंट के जरिये हों और चाहे किसी और तरीके से, वे सब विफल रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि पहले उन कार्यों को, जो कि इस वक्त प्रचलित हैं, ठीक तरीके से चलाया जाये और तब इस किस्म के कदम उठाये जाने चाहिए ।

बीज के सिलसिले में अब तक यह तरीका रहा है कि या तो किसान रखता है और या सीड स्टोर से बीज मिलता है ।

15.29 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

गवर्नमेंट सीड स्टोर की हालत यह है— चाहे वह को-आपरेटिव के हैं और चाहे एग्रीकल्चर के—कि उनमें बीज अच्छा नहीं मिलता है । मैं नहीं समझता कि जब सरकार उन कामों में असफल रही है, जिनका संचालन वह करती है, तो फिर इस किस्म के प्रतिबन्ध लगाने से क्या लाभ हो सकेगा ।

इस बिल में इन्स्पैक्टरों की तादाद बढ़ाने और सीड एनैलिस्ट्स मुकर्रर करने का प्राविजन है । एक्साइज में बहुत अरसे से यह तजुर्बा हो रहा है, लेकिन उसमें हम नाकाम रहे हैं । बजाय इसके कि उसमें सुधार हो सके, भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसकी तरफ कई माननीय सदस्यों ने इशारा किया है । इस वक्त गांवों में थोड़ा सा अमन-चैन है । मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था करने से और परेशानी होगी और भ्रष्टाचार घटेगा नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा मिलेगा ।

इसमें कई चीजें हैं जो ठीक नहीं हैं । इस में से जो स्टेट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वह ठीक नहीं है । मुख्तलिफ किस्म की फस्लें पैदा करने वाली स्टेट्स को मिलाया गया है । केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश विभिन्न खेती करने वाले प्रान्त हैं । मेरा अनुरोध यह है कि एक सी खेती करने वाले, एक किस्म की चीज बोने वाले स्टेट्स का एक क्लासिफिकेशन होना चाहिये । यह चीज गलत है जो की गई है ।

आपने प्राविजन किया है कि जो बीज सप्लाई करेगा उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा । इसमें एक मुख्य चीज यह है कि आप किसान को मुसीबत में डालना चाहते हैं . . .

श्री चं० ला० चौधरी (महुआ): जमीन पर सीलिंग के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं ?

श्री सरजू पाण्डेय : बिल को पढ़िये । यह बिल सीलिंग के बारे में नहीं है । यह बिल बीज के वितरण के बारे में है ।

सभापति महोदय : मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इस तरह से बैठे बैठे वे बातें न करें । आपको जब मौका मिलेगा तो आप भी जो चाहें कह सकते हैं ।

श्री मोहन स्वरूप : क्लाज 17 और 18 में यह प्रोवाइड किया गया है कि जो बीज रखता होगा उसके यहां जा कर सीड इंस्पैक्टर को तलाशी लेने का भी हक होगा, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करने का हक होगा । किसान जो बीज रखता है अपनी स्वयं की जरूरत को पूरा करने के लिए, बोने के लिये, उसके यहां भी तलाशी इस तरह से हो सकती है और उसका बीज भी कनफिसकेट हो सकता है .

श्री शाहनवाज खां : ग्रापने बिल को ग्रच्छी तरह से पढ़ा नहीं है ।

श्री मोहन स्वरूप : सारी की सारी यह जो चीज है यह किसान को सुविधा देने के बजाय उसको मुसीबत में डालने वाली सिद्ध होगी ।

सजा का जो प्राविजन है क्लाज 22 में, उसको भी ग्राप देखें ।

बहुत ज्यादा सजा की व्यवस्था की गई है । तीन महीने ग्रौर पांच सौ रुपये .....

श्री यशपाल सिंह : किसान के लिए नहीं है, डीलर के लिए है ।

श्री मोहन स्वरूप : किसान जो रखता है वह भी इसमें ग्रा जाएगा । किसान जो थोड़ा सा सोचता है कि उसको बीज स्वयं के लिए रखना चाहिए वह भी इसमें ग्रा जाएगा ।

सरकार ने एक नैशनल सीड कारपोरेशन की स्थापना की है । ऐसा करने का उसका उद्देश्य यह है कि ग्रच्छा बीज लोगों को दिया जा सके ग्रौर दूसरी सुविधायें पहुंचाई जा सकें । मैं स्वयं नेशनल सीड कारपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं श्री माथुर उन से मिला हूं ग्रौर मैंने ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं कुछ इसमें करना चाहता हूं । मुझे बताया गया है कि मक्का बोने के लिये करीब दो हजार रुपये जमा करवाने पड़ेंगे सीड के लिए, बोने के लिए, उन के जो ग्रादमी हैं, जो देखने के लिए जायेंगे, उनके लिये ग्रौर इस तरह की दूसरी चीजों के लिए । ज्वार के लिये मुझे बताया गया है कि ढाई सौ रुपये जमा करवाने होंगे । इसी तरह से भिंडी के लिए भी रुपये जमा करवाने होंगे । मक्का, ज्वार ग्रौर भिंडी इन तीन चीजों पर ही वे प्रयोग कर रहे हैं इस वक्त । यह जो तरीका है यह इतना महंगा है कि मामूली किसान इसको बरदाश्त नहीं कर सकता है । मामूली किसान दो दो हजार रुपये दे नहीं सकता है । उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वे इतना रुपयचं खर्च कर सके । जो कार्रवाई ग्राप किसान के लिये कर रहे हैं उसमें किसान की भलाई होने की बजाय उलटा ही ग्रसर पड़ रहा है । ग्राप किसान के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं ।

मैं ग्रनुरोध करती हूं, जैसा कि दूसरे मित्रों ने कहा है, कि बजाय इस बिल को पास करवायें इस को जनमत संग्रह के लिए लोगों के सामने पेश किया जाए, उनकी ग्रौर किसानों की इसके बारे में राय ली जाए ग्रौर जो उनकी राय हो, उसके ग्रनुसार काम किया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।

श्रीमती सहोदराबाई राय : यह जो बिल मंत्री महोदय द्वारा इस सदन में रखा गया है, इसका मैं विरोध करती हूं, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकती हूं । यह बिल किसान के हितों के खिलाफ जाता है, देश के हितों के खिलाफ जाता है ।

मैं नहीं समझती हूं कि ग्रापने देहातों का जा कर दौरा किया है । वहां किसान लोग बहुत ही मुसीबत में हैं । शक्कर जो देहातों के लिए दी जाती है उस पर दस रुपये फी बोरा ज्यादा वसूल किया जाता है । ग्राम पंचायत वाले या सोसाइटी वाले जब फूड ग्राफिसर के पास शक्कर के लिए जाते हैं तो उनको दस रुपये फी बोरा के हिसाब से ज्यादा देना पड़ता है । सिमेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो भी रुपया पहले ले लिया जाता है ग्रौर बाद में जब मर्जी होती है सिमेंट दिया जाता है । उसका भी ज्यादा चार्ज किया जाता है । यही हाल तेल का है । ग्रगर यही हालत रही तो ग्रागे हम लोगों को वोट मिलने वाले नहीं हैं । लोग मुझसे कहते हैं कि हमने तो तुम्हें इसलिए चुन कर भेजा था कि तुम हमारे ग्रसन्तोष को दूर करोगी लेकिन हमारा ग्रसन्तोष तो बढ़ता

[श्रीमती सहोदराबाई राय]

ही जा रहा है। उनका जो असन्तोष है इसको दूर किया जाना चाहिये ।

मैं प्रार्थना करती हूं कि बीज विधेयक जो आपने रखा है गलत है, इससे किसान पर बड़ा बोझ आप डालने जा रहे हैं । जब वह बीज लेने के लिए जाएगा तो उसको रिश्वत के तौर पर रुपया देना पड़ेगा और इससे भ्रष्टाचार और भी ज्यादा बढ़ेगा। उसको पटवारी को रुपया देना होगा तथा दूसरों को भी देना होगा। जहां से लाइसेंस मिलेगा वहां भी रुपया देना पड़ेगा, तब जाकर लाइसेंस मिलेगा। किसान पर आज इतनी आपत्तियों का बोझा है कि उसके लिए आगे किसानी करना कठिन हो गया है और आगे और भी कठिन हो जाएगा ।

हमारे भाई ने कहा है कि जमीन पर सीलिंग नहीं करते हो। मैं कहना चाहती हूं कि अगर जमीन पर सीलिंग करके आप हरिजनों को दो चार एकड़ जमीन दे भी दोगे तो भी वह जमीन छोड़ कर शहर की तरफ भाग जाएगा । वह किसानी करना नहीं चाहता है। वह आज भी शहर की तरफ भाग रहा है । हरिजन या दूसरे लोगों को छः आठ एकड़ जमीन दे भी दी जाती है तो भी वे खेती करना नहीं चाहते हैं और शहर में जाकर रिक्शा चला कर या होटल खोल कर काम करना ज्यादा पसन्द करते हैं । गांव से सभी आज शहरों की तरफ भाग रहे हैं। खेती में कोई काम करना नहीं चाहता है ।

ईश्वर की मर्जी कुछ ऐसी है कि इस साल पानी बरसने वाला नहीं है और महाकाल पड़ने वाला है। कहां से आप बीज देंगे ? देहातों में आज भी अकाल पड़ा हुआ है । जानवरों को चारा नहीं मिलता है। लाखों की संख्या में गायें, भैंस मौत के घाट उतर गये हैं । वहां चारा नहीं है, भूसा नहीं है, गल्ला नहीं है । ऐसी स्थिति में यहां आप बीज विधेयक रख रहे हैं । कहां से लायेंगे आप बीज ? गांवों में आज त्राहि त्राहि मची हुई है। जो भी कानून आप बनाते हैं वही फेल होता है । उसका उलटा असर होता है । कंट्रोल आप लगाते हैं तो लोग गल्ला दबा देते हैं। किसान अपने अन्दर से गेहूं नहीं निकालता है । वह सोचता है कि वह क्या खायेगा बाद में अगर उसने अब गल्ला निकाल दिया तो सब गल्ला वह भीतर रखे हुए है। त्राहि त्राहि मच रही है। गरीबों को खाने के लिये गल्ला नहीं मिल रहा है । आपको चाहिये कि आप सोच समझ कर कोई कदम उठायें । अगर सोच समझ कर आप कदम नहीं उठाते हैं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे ।

आप मिनिस्टर हैं, आप घरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं और जानते नहीं हैं कि बाहर क्या हो रहा है, देहातों में क्या हो रहा है । आपको चाहिये कि आप दौरा करें, जनता से पूछें कि उसकी क्या तकलीफें हैं और उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करें । बड़े बड़े जो जमींदार हैं वे तो पचासों मन गेहूं रख सकते हैं लेकिन जो गरीब हैं वे तो नहीं रख सकते हैं। वे अगर पांच मन बीज के लिए गेहूं लेते हैं तो उनको सवाई देना पड़ता है, सवा छः मन देना पड़ता है । जब यह लाइसेंस हो जाएगा तो बहुत भ्रष्टाचार फैलेगा । छोटे बड़े कर्मचारी सभी खायेंगे । इन्स्पेक्टर को बोरा दो बोरा देंगे तब बीज ले सकेंगे, वर्ना नहीं। आगे भ्रष्टाचार की वजह से नाक में दम है, बहुत परेशानी है । इस वास्ते आप सोच समझ कर कदम उठायें । आप इस बिल को वापिस लें, वर्ना हजारों की संख्या में जनता आपके दरवाजे पर सत्याग्रह करेगी और आपके लिए स्थिति को सम्भालना मुश्किल हो जाएगा । अगर आप इसको वापस नहीं लेना चाहते हैं तो जनता से आप इसके बारे में पूछ लें, जनता से आप इसको पास कराय, किसान से पूछ कर इसको पास

करायें। आगे ही वर्षा नहीं हुई है और जनता यज्ञ आदि कर रही है ताकि वर्षा हो जाए। क्यों नहीं मिनिस्टर इकट्ठे हो कर और पैसा खर्च कर के इन्द्र को मनाने के लिए यज्ञ करते हैं। यदि वे ऐसा करें तो देखें कैसे पानी नहीं बरसता है ।

इन शब्दों के साथ मै चाहती हूं कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाए।

Shri C. K. Bhattacharyya: When I went through this Bill, it looked like an unostentatious piece of legislation. As the discussion has developed it has brought in wider and deeper questions. The hon. Minister must have brought it with the best of intentions. I sympathise with him in his plight. He has received more brickbats than bouquets, I believe no bouquets till now, but brickbats from all sides. I do not know what he will do in his plight and which way he has to go. The arguments that had been advanced by our friends who apprehend difficulties in the life of the agriculturists arising from this Bill as very cogent arguments. That is, the customary way in which the agriculturists distribute the seeds among themselves, collect them and keep them should not be disturbed. That is what they want. And that should be respected. At the same time, there are some provisions in the Bill which are also good namely about the laboratory for testing seeds and maintaining the standards of seeds. If these could be done without disturbing the lives of the villagers and the agriculturists, the hon. Minister might find a way out. It has often happened that the Government take seeds from the market, and send them to the villages for the use of agriculturists, but the seeds that are sold in the market are bogus seeds. They are sown but they do not sprout and at the end the agriculturists suffer. That also has got to be prevented. The sale of seeds in the market which are totally ineffective should be prevented by some provision.

I know there are a number of research sections in the agricultural departments for improving the products of different agricultural crops and improving their varieties in different parts of the country, but would they take up this laboratory for testing the seeds and improving the variety of seeds? I do not know. If the laboratory could be attached to the research sections of the agricultural departments, that might be a way out. But even in that case, the Bill has to be reconsidered and redrafted and revised.

The Bill has passed through the Rajya Sabha and has come to us from there. I am not sure whether the rules would permit at this stage so that we can send the Bill for circulation or we can send it back to the Rajya Sabha. One of these two we might do if we are not inclined to pass this Bill at this stage. In any case, the hon. Minister has to find a way out. If he cannot find a way out, I suggest that he should try to feel a way out. Let us find or feel a way out. After having felt the sense of the House, the hon. Minister might get a way-out in dealing with this Bill and allowing the society to take advantage of the provisions in this Bill which are necessary for improving the seeds and the distribution of improved seeds, and, at the same time, not doing anything which will bring into existence an agency which—there is an apprehension in the minds of all—will ultimately act as an engine of oppression. That is the problem, and I believe the hon. Minister will be resourceful enough to tackle the problem and find or feel a way out.

Shri Narendra Singh Mahida: Madam Chairman, this is a very typical Government Bill where intentions are good but the Bill results in the harassment of the people. I thought, the agriculturists will be left to peaceful means in the matter of acquiring their seeds. We have taken to agriculture as a serious subject and it is our last resort for our maintenance.

[Shri Narendra Singh Mahida]

We have difficulties even today in procuring good seeds in our districts, and here, by this Act, seeds will again go underground and we shall have to resort to black-marketing in getting good seeds. Good seeds are difficult to get in this country, and the hon. Deputy Minister will bear me out when I say that we are today importing seeds from Mexico and Japan. If I am incorrect, the hon. Minister may correct me. When we have no sufficient seeds in our country, when we have no distribution system, to tackle such a wide subject as seeds in all the districts and the villages will be a stupendous task which, I am afraid—and I do think—the Government has the capacity to discharge. We have to import food at a very heavy cost. We have the debacle of paying heavy demurrage charges for imported food which we cannot unload in time at our ports. We shall be creating further difficulties in dealing with seeds of which we have not got sufficient stock. Whatever seeds we have today, even in the open market, a large percentage of that does not sprout or bloom. Does the Government guarantee that the seeds that they will distribute will be fully insured and that they will bloom completely? There is no such insurance scheme with the Government; not even for the crops; and yet they are now dealing with the unguaranteed seeds. In my district even buffaloes are insured in a dairy milk scheme. Though human beings are not yet insured and seeds are far away.

I would like to have a guarantee that in times to come the crops and seeds are insured under an insurance scheme. Then, we can fully depend upon agriculture. We call our country an agricultural country but we know our plight. We cannot live completely on agricultural income. If, as an agriculturist if I have no other side income I cannot buy even a radio; I cannot enjoy a trip to Delhi. What is the use talking of raising our standards. We are already tide down by the land ceiling on an earnings of Rs. 3,600 per annum. A middle class family cannot exist by good intentions alone. We have no mode or means of controlling good quality of seeds. What about the agricultural institutes in our country? For instance, in my district, we have a very successful agricultural institute. But we are far away from realities. These institutes have no connection with the local farmers. Let the hon. Minister point out to me a single agricultural institute in this country, which has really a base and has spread its activities among the farmers just around, even one district. They make experiments in their institutes, talk and deal in English language and they go about improved seeds and improved stock. But in reality that knowledge and experience does not reach the farmer. There is no connection whatsoever with the local farmers. Yet we are coming up with this Bill today to do good to our agriculturists. I am afraid it will do more harm than good to our agriculturists.

Leaving aside the other sections or clauses, I may refer to some provisions of the Bill, as my hon. friend Shri Raghunath Singh pointed out; there are clauses 9, 11 and 22. For example, sub-clause (2) of clause 3 says that two persons are to be nominated by the Central Government to represent dealers in seeds. The intention is to improve agriculture and the lot of the agriculturists but we are nominating representatives of dealers. Instead of nominating agriculturists, we are appointing and helping the dealers. This is objectionable. The agriculturists are the most neglected class in this country. In spite of our tall talk that the agriculturists are the Jagat Tat—we want only votes from them. Agriculturists have no organisation in this country worth the name. Production of foodgrains will not increase in this country unless a substantial number of agriculturists are provided with good lands, good seeds and all the financial help.

Lastly, I would say this; will the seeds be selected or given or distributed according to the climatic condition and the type of quality of land? There is no provision or assurance in regard to that. Supposing a particular type of seed is given which. does not suit my land or the climate. What do I do? There is provision for penalising alright but no provision of guarantee that the seeds will bloom properly and that they will be distributed according to the land and climate.

Therefore, I vehemently oppose this Bill and I request the minister, before the Bill is thrown out by votes even from his own side, to withdraw the Bill or find some other remedy to take it back or circulate it for opinion.

श्री क० गो० सेन : सभापति जी, यह जो सीड्स बिल है, पता नहीं लगता कि इससे काश्तकारों को क्या फायदा होगा । अगर यह चीज है कि काश्तकार को बढ़िया बीज मिले, उसको खराब बीज न मिले, जो बीज वह बोवे वह ठीक से उगे, तब तो दूसरी चीज है । लेकिन इसके प्रावीजन्स देखने से पता चलता है कि आप इंस्पेक्टर आदि बहाल करेंगे, तो इससे तो करप्शन ही होगा । इसका परिणाम यह होगा कि काश्तकारों पर एक दूसरा बोझा और आ जावेगा । अभी जो सड़ा बीज बाजार में बिकता है, वह तो वैसे ही बिकता रहेगा । हां, इंस्पेक्टर की पाकेट में कुछ रुपया आ जाएगा, और सारी चीजें ज्यों की त्यों चलती रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें जो भी काम खेती की उन्नति के लिए किया जाए ठीक है । लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि कुछ हो नहीं पाता है । हम को देखना चाहिए कि किसान गोबर को न जलाये । पहला काम तो हमको यह करना चाहिए । आप दिल्ली से ट्रेन में बैठ कर चलिए तो आप दूर दूर तक देखेंगे कि किस प्रकार गोबर को सजा कर खूबसूरती के साथ रखा है । जो गोबर खेत में आना चाहिए था उसको इस तरह से सजा कर रख दिया गया है, वह खेत में नहीं जाएगा और जल जाएगा । इस तरह से यह हो रहा है कि जहां हमको काश्तकार को असली मदद पहुंचाना चाहिए वहां हम नहीं पहुंचा रहे है । हमारे यहां जो दूसरे दरजे का कोयला है उसको हमें गांवों में पहुंचाना चाहिए और किसान से कहना चाहिए कि कोयला जलाओ और गोबर को खेत में पहुंचाओ । गोबर सोना खाद है, इसका हमको प्रचार करना चाहिए । आज वह सोना खाद खेतों में नहीं पहुंचता बल्कि जल रहा है ।

तो इस तरह से जो भी काम हम आज कर रहे है, उससे हित के बजाय किसान का अहित हो जाता है क्योंकि उसमें ऐसे-ऐसे लोग आ जाते है कि वे अपना पाकेट भरने में लगते हैं और काम नहीं करते । आज पंचायत के कारण गांव टुकड़ों में बंट गये हैं । अगर आप यह कानून पास करा देंगे तो इसके मातहत विरोधी लोगों को पकड़ा दिया जाया करेगा ।

आपके सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म हैं । तमाम ब्लाक्स में ये फार्म हैं । एक ब्लाक में मैं गया तो मैंने देखा कि वहां जो सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म था उसमें से तीन सौ या चार सौ मन सीड आया था । लेकिन मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि वहां गांव वालों को इसका पता नहीं था । परिणाम यह हुआ कि उसमें से बीस पच्चीस मन सीड तो बिका, बाकी खा लिया गया । तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म में जो सीड होता है वह तो बंटता नहीं, आप कहां से सीड लाकर बांटेंगे और क्या हालत होगी, हम को पता नहीं ।

इसमें आपने लेबोरेटरी बनाने का प्रावीजन रखा है । आजकल लेबोरेटरी की बात चल पड़ी है । आप उसे बनाइए । उससे कोई फायदा हो तो ठीक है ।

[श्री फ० गो० सेन]

इस बिल में आपने साम्पल लेने के लिए जो प्रावीजन रखा है उसमें सजा की भी व्यवस्था है। आपके अनेक प्रकार के साम्पल सरवे होते हैं, दुनिया भर के स्टेटिस्टिक्स आपके बनते हैं, लेकिन उनके बारे में सजा की व्यवस्था नहीं है। सीड के बारे में ही यह व्यवस्था क्यों रखी गई है। इसमें आपने पीनल क्लाज रखा दिया है क्योंकि यह काश्तकार का मामला है। इसी प्रकार हमने वेट्स और मेजर्स में भी देखा है। सेर भी चलता है और किलो भी चलता है। वह भाव तो किलो में करता है और देता है सेर से। या अगर एक पाव मांगा जाता है तो देता है 200 ग्राम इस तरह का अजीब तमाशा हो रहा है। तो मेरा कहना है कि आप काश्तकारों की भलाई को उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए। आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो उनको रुपया पहुंचाइये। उसके पास रुपया नहीं है, वह पहुंचाइए।

हमने देखा है कि गांवों में लोगों से कहा गया कि तुम कोआपरेटिव का रुपया दे दो तो तुमको रुपया मिल जाएगा। उन्होंने अपने जेवर बन्धक रख कर रुपया दे दिया लेकिन उनको रुपया नहीं मिल रहा। इसी तरह से जो भी काम होता है ठीक से नहीं होता है।

तो मेरा सुझाव है कि जो पीनल क्लाज है या जो इंस्पेक्टर को बहाल करने के क्लाज है उनको निकाल दीजिए। अगर लैबोरेटरी से अच्छा काम हो सकता हो, तो उसको रखिए, हमको कोई एतराज नहीं होगा।

Shri D. J. Naik (Panchmahals): Madam Chairman, the object of this Bill is laudable, viz., to regulate the quality of seeds in order to increase agricultural production. But looking at the various provisions of the Bill, I feel perhaps the object may not be achieved.

I have some experience about the regulation of quality of cotton seeds in my State. Regulation is done by cotton seed inspectors. They do not know what kind of seed it is. Yet, they take objection and harass the agriculturists. If something is put into their pockets, that objection is waived. In this Bill, many powers have been given to the seed inspectors for regulating the quality of seeds. I would like to know what would be the qualifications of these inspectors. Would they be agricultural graduates or ordinary matriculates who have been in an agricultural school. What would be their qualifications? Power to break open the godowns, etc. have been given to the inspector. There would be so many inspectors and I feel corruption will increase and there will be more harassment of the agriculturists.

This Bill has been a little bit ill-conceived, though the object is good. I would urge that this Bill ought to be sent for circulation and not rushed through so hurriedly like this. No doubt, Rajya Sabha has passed it. Even then, I would appeal to the minister that this should be again sent to the Rajya Sabha for further consideration and then it may be sent to us. Or, the Bill may be referred to a select committee or let it be circulated to all the States for their opinions.

Regarding the committee, I find that it is to be nominated wholly by the Central Government and there will be only one representative of the producers of seeds. Seeds will be produced by so many agriculturists. If they have only one representative, he may have very little voice in the transaction of business of this committee.

Therefore, I would like that the Committee must have more representatives of seed growers. At least there must be four representatives of seed growers. There is provision for one person to be nominated by the Government of each of the States in

the three groups. Now each group will consist of five or six States. Each group will be represented alternately. So all the States will not be represented there and only five or six States will be represented at a time. Therefore, the Committee which is to be constituted will not be fully representative of the States also.

The methods which are to be taken for regulating the quality of seeds, I think, are not quite good methods. They will rather create harassment to the agriculturists. Therefore, I would appeal to the hon. Minister to send the Bill for circulation to the States and also to the district panchayats.

Shri P. R. Patel: Sir, I rise to a point of order. My submission is that we cannot pass this Bill as agriculture is a state subject, in List II. Item 14 of List II is:

> "Agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases."

"Agriculture" includes everything, better seeds and all these things. So, this is a state subject. Now, in the Concurrent List Item 33 says:

> "Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of,—
>
> (a) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products;
>
> (b) foodstuffs, including edible oilseeds and oils;
>
> (c) cattle fodder, including oilcakes and concentrates;
>
> (d) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed; and
>
> (e) raw jute."

What I am submitting is this. When this is not covered by entry 33 of the Concurrent List, because it refers to foodstuffs and this Bill relates to better seeds and this is not regulating commerce or trade—it relates to certification, licensing and all those things—my submission is that this is a State subject and we cannot discuss this Bill.

Mr. Chairman: The Bill has been introduced and it is being discussed. It is for the House to decide whether to pass it or not. The Chair cannot give any ruling as far as this is concerned, whether it is to be admitted or not because it is a State subject. Therefore, when the Bill will be put to vote it is for the House to decide.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): It is for the Chair to decide.

Shri Gauri Shankar Kakkar: The point of order is to be decided by the Chair and not by the House.

Shri N. Dandeker (Gonda): The issue raised in the point of order is that the discussion cannot proceed and on that a ruling is necessary.

Shri Shahnawaz Khan: Madam, all that I want to say is that in the Ministry of Agriculture we have certain research centres and research institutions evolving new strains of seeds and thereby improving the agriculture in this country.

It is a subject which comes within the purview of the functions of the Central Government. All these points which have been raised by my hon. friend have been fully taken into consideration and we feel that the Parliament is competent to enact a law of this nature.

Shri N. Dandeker: Certainly the Central Government has the power to undertake research, scientific research for evolving better strains of seeds and so on. The question that is raised by the point of order is whether

[Shri N. Dandeker]

they have got any authority at all to pass legislation to control and regulate the distribution of seeds in this country. That it has been pointed out, is a State subject and a ruling is necessary because we cannot discuss the matter further at all.

Shri Narendra Singh Mahida: Also, under clause 10 of this Bill they give authority to the State Government, by notification in the official gazette, appoint licensing officers and all that. So this is a State subject because power is delegated to the State.

Shri Raghunath Singh: We want to know whether the State Governments have been consulted or not. We want to know the reaction of the State Governments.

Shri Himatsingka (Godda): Madam, it has been pointed out that it is an agricultural subject and that agriculture is a State subject. The entry mentioned is entry No. 14 in List II. You will also notice that the implementation and enforcement of the provisions of this Bill will have to be left to the States. You always hear in this House: "this is to be enforced by the State; we can't do anything; we can only request the States" and so on. Therefore, if a Bill is to be enacted into law and you have no authority to enforce it in the States, what is the fun in enacting that law which is to be enforced by the States. Moreover, the provisions also are such that they have to be enforced by the States. Therefore, I feel that this Bill ought to be withdrawn and not proceeded with unless you ascertain the wishes of the States and they support the Bill.

Shri Gauri Shankar Kakkar: Madam, with your permission, I stand to support the objection taken by the point of order. As has been stated, agriculture is pure and simple a subject of the States. The problem of seeds is related to agriculture. It cannot be separated from agriculture, because seeds are required for agricultural purposes and not for any other purpose.

16.09 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Therefore, when it is listed in the State subjects, how far will the central legislature be authorised to undertake this legislation? I think it would be outside the jurisdiction of this House to undertake this legislation. So I support the point of order that has been raised.

Shri Shahnawaz Khan: Production, supply and distribution of foodstuffs comes under ...... (*Interruptions*).

Shri Raghunath Singh: Where is agriculture without seed? Seed is the base of agriculture.

Shri Shahnawaz Khan: The seeds necessary to grow these foodstuffs would naturaly come under the purview of this. Then, as I submitted before, research is under the Centre. Evolving of new strains of seeds in the research centres by the breeders of seeds also comes under the purview of the Centre.

Shri Narendra Singh Mahida: Will the hon. Minister explain to the House whether bajra, wheat and jowar are foodstuffs or seeds?

Shri Shahnawaz Khan: Both.

Shri Raghunath Singh: How can you have foodstuffs without seeds?

Shri N. Dandeker: Sir, may I make a submission? First of all, if you look at the State List i.e. item No. 14 in List II of the Seventh Schedule to the Constitution, it reads "agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases". It is very wide, quite obviously including the problems of sale and distribution of seeds and so on. But it might be contended that this subject comes also under the Concurrent List, that is, List III in the Seventh Schedule, because if it did then this Parliament

has also jurisdiction to legislate. The relevant item there is 33 and I would like to draw special attention to that. It reads: "Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of,—

(a) the products of any industry..." Obviously, this is not the product of any industry.

"(b) foodstuffs, including edible oilseeds and oils;" But in this Bill they are not dealing with foodstuffs; they are dealing with the production, distribution and sale of seeds.

"(c) cattle fodder, including oil-cakes and other concentrates;"

This is not cattle fodder, nor oilcake but only seeds.

"(d) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed;"

Nor is this cotton, whether ginned or unginned. Certainly, they have power to deal with cotton seeds, under the jurisdiction given by the Concurrent List; but they have not power to deal with the production, distribution and sale of other seeds at all. If they had that power, it would have been specifically mentioned, as is done in the case of cotton seed. This power cannot be taken by inference; it must be express statement. So, I think the objection is well taken and I humbly submit that this House is really not competent to discuss this Bill at all.

Shri C. K. Bhattacharyya: Sir, in the present circumstances, I would suggest that the Minister of Law may be called and his opinion obtained.

Shri R. S. Pandey (Guna): I suggest that it may be referred to a Select Committee.

Shri Gauri Shankar Kakkar: When it has been passed by Rajya Sabha how can you refer it to a Select Committee?

Shri Rane (Buldava): I beg to move:

"That further discussion on the Bill be postponed to a covenient date".

Dr. Chandrabhan Singh (Bilaspur): What about the point of order that has been raised?

Mr. Deputy-Speaker: I do not want to give any ruling on the point of order raised now. I will hold it over.

Now, the motion has been made that the further discussion on the Bill may be postponed.

The question is:

"That further discussion on the Bill be postponed to a convenient date".

The motion was adopted.

16:15 hrs.

COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Companies Act, 1956, as reproted by the Joint Committee, be taken into consideration."

As the hon. Members are aware, the report was presented to this House on the 23rd February, 1965. The Committee, after considering the evidence given before them, have made certain changes in the Bill. The observations of the Committee with reagard to the principal changes proposed in the Bill are detailed in their report. I do not, therefore, propose to go